उपविधियां

बधशालाओं की लाइसेन्स वार्षिक फीस निम्न प्रकार होगी।

वर्तमान दरें			संशोधित दरें		
1	मांस बाहर भेजने के लिए बड़े पशुबध करने पर	1000.00	1	मांस बाहर भेजने के लिए बड़े पशु बध करने र	25000.00
2	स्थानीय बिक्री हेतु मांस के लिए पशुबध करने पर	500.00	2	स्थानीय बिक्री हेतु मांस बिक्री के लिए पशु बध करने पर	5000.00
3	भेड़ बकरी सूअर के बध पर	300.00	3	भेड़ बकरी सुअर के बध पर	500.00
4	मांस बेचने की दुकान चाहे किसी प्रकार का मांस हो	100.00	4	मांस बेचने की दुकान चाहे किसी प्रकार का मांस हो	200.00

वर्तमान दण्ड

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा जो रु० 250.00 तक हो सकेगा जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो कि अपराधी अपराध करता रहा है रु० 10.00 प्रतिदिन तक हो सकेगा। और यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

संशोधित दण्ड

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा जो रु० 1000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रु० 50.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

बी० के० शर्मा,
आयुक्त,
आगरा मंडल, आगरा।

जिला पंचायत –इटावा / औरैया

22 दिसम्बर, 2001 ई०

सं० 810/23-35-93-94—डिस्ट्रिक बोर्ड इटावा जो वर्तमान में जिला पंचायत, इटावा के नाम से संचालित संस्था है, द्वारा उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 238 के अन्तर्गत बनाई गई उपविधियों को मण्डल आयुक्त की अधिसूचना संख्या 1751/23 उपविधि 97-98 दिनांक 27 जुलाई, 98 द्वारा जिला पंचायत औरैया में यथावत् लागू करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा जो जिला पंचायत औरैया में यथावत् लागू है। लागू उपविधि में से जनपद औरैया के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुबध गृहों, शक्ति संचालित मिल निर्माण कार्य के ठेकेदारों पंजीकरण शुल्क, व तहबाजारी अनुसूची शुल्क को नियंत्रण करने हेतु जिला पंचायत औरैया ने अपने प्रस्ताव संख्या 9, 10 एवं 11 दिनांक 2 मार्च, 2001 द्वारा निम्नलिखित संशोधन हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की है। जिला पंचायत औरैया इन प्रचलित उपविधियों में निम्नलिखित संशोधन करती है। जिस किसी व्यक्ति को इन संशोधन के लागू किये जाने पर आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति कारण सहित विज्ञप्ति

प्रमाणित प्रति

प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रकाशित संशोधनों में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा ।

संशोधन

(1) दुकानों को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि विज्ञप्ति संख्या 412/23-70-73 दिनांक 30 जुलाई, 1974 के अनुसार उपविधि की धारा 12 में वर्तमान में उल्लिखित व्यवसायों (दुकानों) अतिरिक्त निम्नलिखित छूटे हुये व्यवसायों का विवरण जिनकी लाइसेन्स दरें निम्न अनुसार प्रस्तावित हैं, प्रस्तावित मदों पर हर दुकानदार को जिला पंचायत औरैया को लाइसेन्स शुल्क अदा करके अथवा जिला पंचायत की एजेन्सी को देकर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा :

क्र० सं०	व्यवसायिक दुकान का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
1	2	3
		रु०
1	पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प	2000.00
2	पी० सी० ओ०/एस० टी० डी०/आई० एस० डी०	200.00
3	फोटो स्टेट/लेमीनेशन	100.00
4	गैस वेल्डिंग मशीन	100.00
5	बिजली वेल्डिंग मशीन	100.00
6	खराद मशीन	200.00
7	बर्मा मशीन हाथ से	50.00
8	बर्मा मशीन (पावर से)	100.00
9	कम्प्रेशर मशीन	50.00
10	सर्विस स्टेशन (मोटर गाड़ी)	200.00
11	क्रीम निकालने की मशीन (हाथ से)	100.00
12	क्रीम निकालने की मशीन (पावर से)	200.00
13	फोटो ग्राफर की बड़ी दुकान	150.00
14	गमला/नादी 2 जाल आदि की दुकान	150.00
15	बैटरी मरम्मत की दुकान	100.00
16	देशी शराब का ठेका	2000.00
17	अंग्रेजी शराब की दुकान	2000.00
18	भांग की दुकान	200.00
19	गैस एजेन्सी	2000.00
20	गैस सेलेण्डर (छोटे बिक्री की दुकान)	200.00
21	गैस चूल्हा मरम्मत	100.00
22	डीजल की फुटकर की दुकान	300.00
23	आइस कैण्डी	500.00
24	प्रिन्टिंग प्रेस	200.00
25	मोटर पत्थर की दुकान	500.00
26	होटल ढाबा (छोटा)	200.00
27	होटल ढाबा (बड़ा)	500.00
28	कोल्ड ड्रिंक्स	100.00
29	फलों की दुकान	50.00
30	अंडों की दुकान	50.00

प्रमाणित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पं[illegible]

1	2	3
		रु0
31	चाट या नमकीन	50.00
32	टाइप मशीन सीखने की दुकान	100.00
33	ब्यूटी पार्लर	200.00
34	गन्ना रस की दुकान	50.00
35	फलों के जूस की दुकान	100.00
36	चूड़ियों की दुकान	100.00
37	चीनी, कांच के बर्तन की दुकान	100.00
38	लोहे या प्लास्टिक की दुकान	300.00
39	लोहा पाइप/प्लास्टिक पाइप की दुकान	300.00
40	हैण्ड पम्प की दुकान	200.00
41	वाटर पम्प की दुकान	200.00
42	मोबिल आयल की दुकान	100.00
43	राशन की दुकान	200.00
44	पशुओं की दवाई की दुकान	100.00
45	रेडियो/ट्राजिस्टर/टेप रिकार्डर ब्रिक्री दुकान	150.00
46	कैसेट ब्रिक्री की दुकान	100.00
47	वीडियो फिल्म की दुकान	200.00
48	छोटा सिनेमा	500.00
49	टी0 वी0 विक्री की दुकान	200.00
50	मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत की दुकान	100.00
51	रेडीमेड कपड़े की दुकान	200.00
52	डकोरेशन की दुकान	300.00
53	टेन्ट हाउस	300.00
54	डाक्टर की दुकान	150.00
55	घंटा घुंघरू की दुकान	150.00
56	गुड़ की दुकान	100.00
57	अन्य सामान की आढ़त	400.00
58	बक्सा आदि की दुकान	150.00
59	विजली के सामान की दुकान	200.00
60	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी	200.00

(2) पशुबध नियन्त्रण उपविधि—अधिसूचना संख्या 806/इक्कीस–14 (3) 48, दिनांक 17 नवम्बर, 1948 स्वीकृत उपविधि संख्या 5 एवं 28 का संशोधन जिसे जिला पंचायत ने अपने प्रस्ताव सं0 11 दिनांक 2 2001 को सर्व सम्पति से स्वीकृत किया ।

उपविधि सं0 5

वर्तमान में लागू		लाइसेन्स शुल्क	प्रस्तावित संशोधन
1		2	3
		रु0	रु0
1	पशुबध गृह का वार्षिक शुल्क	500.00	5000.00
2	पशु बध से सम्बन्धित हड्डी, चमड़ा को एकत्रित कर गोदाम में रखने हेतु गोदाम शुल्क	500.00	5000.00
3	सींग वाले बड़े पशु का बध शुल्क	10.00	50.00
4	सींग वाले छोटे पशु का बध शुल्क	5.00	50.00
5	सुअर बध शुल्क	3.00	50.00
6	अन्य पशुओं का बध शुल्क	10.00	300.00

एक लाइसेन्स पर एक दिन में से 5 पशुओं से अधिक का बध नहीं होगा तथा एक स्थान बस्ती के लिए एक ही लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

उपविधि संख्या 28

वर्तमान में प्रचलित	प्रस्तावित
इन्सपेक्टर या उसका एजेन्ट एक पंजिका का संचालन करेगा जिसमें बध होने वाले पशुओं का लिंग, उम्र कीमत अंकित करेगा।	उपविधि में किसी अधिकृत कर्मचारी/ अधिकारी के नाम का उल्लेख न होने के कारण इस कार्य हेतु क्षेत्रीय कर सम्हर्ता (अमीन) अपने क्षेत्र के अपने पशु वधगृह में उपस्थिति होकर अपने समक्ष पशु बध करायेगा तथा पशु बध शुल्क प्राप्त कर पशुबध की रसीद स्वामी पशु बध से सम्बंधित तिथि व समय से क्षेत्रीय अमीन को अवगत करायेगा। अमीन अपने पास रक्षित पंजिका में बध होने वाले पशु का लिंग, उम्र, कीमत अंकित करेगा।

(3) शक्ति संचालित मिल नियंत्रण उपविधि अधिसूचना सं0 4131/13-82-71, दिनांक 24 अप्रैल, 1974 की उपविधि सं0 का संशोधन उपविधि सं0 4 जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस पर निर्धारित शुल्क अदा किए बिना कोई भी व्यक्ति मिल/शक्ति संचालित उपक्रम न तो स्थापित करेगा और न ही उसे जारी रख सकेगा।

क्रम सं0	वर्तमान में लागू लाइसेन्स शुल्क	शुल्क	प्रस्तावित शुल्क (लाइसेन्स)
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कोल्ड स्टोरेज स्पनिंग मिल, बुनाई मिल, आईस फैक्ट्री एवं अन्य व्यापारिक 2 प्रोसेसिंग यूनिट	500.00	5000.00

प्रमाणित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत

1	2	3	4
		रु0	रु0
2	अन्य मिल जो आइटम सं0 1 में सम्मिलित नहीं है ।	100.00	500.00
3	आइटम सं0 2 में जो मिल शामिल नहीं है । परन्तु एक से अधिक शक्तिचलित उपकरणों का प्रयोग करते हैं ।	150.00	800.00

निर्माण कार्य ठेकेदारी नियंत्रण---अधिसूचना सं0 4613/तेइस-38-78, दिनांक 27 जुलाई, 1998 की उपविधि सं0 3 का संशोधन जिसे जिला पंचायत ने अपने प्रस्ताव सं0 9 दिनांक 2 मार्च, 2001 से स्वीकृत करते हुए अपर मुख्य अधिकारी को संशोधित दरें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया, के अन्तर्गत संशोधन ।

उपविधि सं0 3 (क)	प्रस्तावित
नाम स्वीकृत होने के पूर्व उपविधि सं0 1 के वर्ग अ, ब एवं स के लिए क्रमशः 100.00, 200.00 एवं 400.00 प्रवेश शुल्क मांगे जाने के 15 दिन के अन्दर जिला निधि में जमा करना होगा ।	नाम स्वीकृत होने के पूर्व उपविधि सं0 1 के वर्ग (अ) (ब) एवं (स) के लिए क्रमशः 500, 1000.00 एवं 5000.00 प्रवेश शुल्क मांगे जाने के 15 दिन के अन्दर जिला निधि में जमा करना होगा ।
(ख) वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अपने नाम के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक उपरोक्त वर्ग अ, ब, स के लिए क्रमशः रु0 30.00, 50.00, एवं 100.00 वार्षिक शुल्क जमा करना होगा जो आगामी वर्ष की 31 मार्च तक के लिए होगा ।	वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अपने नाम रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु ठेकेदार को प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक रु0 300.00, 500.00 एवं 100.00 वार्षिक शुल्क जमा करना होगा जो आगामी वर्ष की 31 मार्च तक के लिए होगा ।

ग्रामीण क्षेत्र के ठेकेदारों के कार्य को नियंत्रण करने सम्बन्धी उपविधि अधिसूचना सं0 2782/23-44-1987 दिनांक 27 जून, 1987 में उपविधि सं0 10 का संशोधन ।

वर्तमान	प्रस्तावित
10 (स) रु0 50,000.00 से अधिक धनराशि का ठेका लेने वाले प्रथम श्रेणी ठेकेदार होंगे और उनके लिए लाइसेन्स शुल्क रु0 500.00 होगा ।	उपविधि में दर्शायी गई ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में वार्षिक लाइसेन्स शुल्क रु0 1000.00 एवं रु0 50,000.00 से अधिक का ठेका लेने वाले ठेकेदार को (प्रथम श्रेणी) वार्षिक शुल्क रु0 3000.00 जिला निधि म जमा कराकर लाइसेन्स प्राप्त करना होगा ।

(4) तहबाजारी उपविधि सं0 7 जो अधिसूचना सं0 6871/23-124-1982 दिनांक 13 सितम्बर, 1984 से संशोधित एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् के आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 1984 द्वारा निर्धारित तथा शासकीय गजट में प्रकाशित तहबाजारी अनुसूची में संशोध0

प्रमाणित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-औरैया

तहबाजारी उपविधि अब लागू नहीं है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-औरैया

हेतु जिला पंचायत के प्रस्ताव सं0 2, दिनांक 2 मार्च, 2001 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत संशोधन।

अनुसूची

क्रम सं0	बिक्री या फरोख्त की वस्तुओं का विवरण	दैनिक शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	दो बैल वाली गाड़ी जिसमें गल्ला, धान, लकड़ी, शक्कर, मिश्री, गन्ना, गुड़फल, महुआ, तम्बाकू, रूई, खानों से निकला हुआ माल या उससे तैयार किया हुआ किस्म का माल	1.00	3.00
2	एक बैल वाली गाड़ी या ठेला जिसम लिखा हुआ माल लदा हो	0.50	1.00
3	दो बैल वाली गाड़ी जो देशी फलों व तरकारियों से लदी हो	1.00	3.00
4	एक बैल वाली गाड़ी या ठेला जिसम फल या तरकारी भरी हो	5.00	7.00
5	हर बैलगाड़ी, हरघोड़ा, हर ऊंट, हर भैंसा, यादीगर जानवर जो गल्ला, मिश्री, गुड़, शक्कर, धान, गन्ना, लकड़ी, दाल, महुआ, तम्बाकू या खाने पीने वाली चीजों से लदी हो	0.50	1.00
6	सं0 5 पर दर्ज हर चीजों की गठरी व बहगी	0.25	1.00
7	घी या तेल प्रति टन	0.25	1.00
8	घी या तेल प्रति हंण्डिया	0.25	1.00
9	खुश्क फल तरकारियों (फी टोकरी)	0.25	1.00
10	ताजे फल तरकारियों तम्बाकू या मिठाई वगैरा की गठरी	0.25	1.00
11	पका हुआ खाना, मुर्गा, मछली, वगैर मूझ, रस्सी, चटाई, सिरकी और इसी किस्म की कीमत की वस्तु	0.25	1.00
12	हर पांच फिट लम्बी और तीन फिट चौड़ी खुली जगह उस पर छोटे खुम्चे वाले पटवा, कपड़ा बेचने वाले, हलवाई पन्सारी दवा बेचने वाले, आमरसया खटाई बेचने वाले, बिसाती चमड़े के दुकानदार बैठते हों	1.00	8.00
13	दीगर दुकानों जिनकी चर्चा ऊपर नहीं है हर पांच फिट चौड़ी जगह के लिये	1.00	15.00
14	घास व ईंधन बेचने वाले (फी) (गट्ठा)	0.25	1.00
15	किराये पर चलने वाले तांगे, इक्के व गाड़ी हर एक पर	0.50	1.00
16	आटो रिक्शा	1.00	5.00
17	मोटर ठेला बाजार में माल लादे या उतारे	20.00	50.00

राजेन्द्र भौनवाल,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल।

प्रमाणित प्रति

29—नगला खंगर, 30—कौलई,

विजय कुमार शर्मा,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा ।

28 दिसम्बर, 2001 ई०

सं० 845/23-1-2001-2002—उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा 143 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत पशु मेलों/पशु बाजारों/पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित करने एवं विनियमित करने सम्बन्धी निर्मित माडल उपविधियों को जिला पंचायत औरैया में लागू करने की प्रस्ताव सं० 4, दिनांक 13 मार्च, 2000 द्वारा स्वीकृत के अनुसार जिला पंचायत औरैया अपने नियंत्रणाधीन जिले ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित उपविधियां बनाती है । यह उपविधियां गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जावेंगी ।

परिभाषाएं

1—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषा से है ।

प्रमाणित प्रति

2—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते हैं ।

3—पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है ।

4—रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेन्स अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने निमित्त नियुक्त किया है । निजी पशु मेलों/पशु बाजारों/ पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उसके संचालक अथवा प्रबन्धक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जावेगा ।

5—दलाल का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों

पशु बाजारों/पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया हो।

6--ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत ने किसी पशु मेला/पशु बाजार/पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेकों की शर्तों के अनुरूप नियत अवधि के लिए प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया हो।

उपविधि

भाग-1

1--प्रत्येक व्यक्ति, जो जिला औरैया के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिए, बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा पानी, सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं करना होगा।

3--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जावेगा अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

4--एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबन्धक के लिये अनिवार्य होगा।

5--जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियंता कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियंता, कर निरीक्षक, स्वस्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6--नये पशु मेले पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शांति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।

प्रमाणित प्रति
[signature]

7--नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (30 दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त कर लेगें। लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

8--किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 8 कि० मी० के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नहीं दिया जावेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजारों पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावित नहीं होगा।

9--नये वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क जमा कर ना लाइसेन्स बनवा लिया जाय अन्यथा 300.00 रु० प्रति माह अथवा इसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेन्स नवीकरण में भी यही विधि अपनाई जावेगी परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों में लाइसेन्स संख्या दिनांक तथा दिये गये लाइसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

10--जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही हैं, उनके संचालक को इन उप विधियो के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या-9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

11--अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत औरैया इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होगा।

भाग-2

1--कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी (पशु) के स्वामी एवं संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति से रु० 250 वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3--(अ)--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एव पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र (चरित्र) के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम न होगा।

3--(ब) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एव पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह 1 रु० प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, ऐसे कर्मचारियों को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय न होगा।

4--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5--किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकेगी।

6--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा, जो किसी भी दशा में रु० 20 से कम नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकारी होगा।

7--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक एवं प्रबन्धक को एक मास की नोटिस दी जावेगी और उसके उपरान्त भी यदि प्रबन्ध ठीक नहीं होता है तो लायसेंसिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जावेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबन्ध किया जावेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्ध की व्यय काट कर शेष धनराशि निजी प्रबंधक अथवा संचालक को वापिस की जावेगी।

8--जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

9--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ० प्र० पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 54 में भरकर देगा तथा उसकी प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा, यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जावेगी।

10--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्ध के लिये अनिवार्य होगा कि उ० प्र० पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) में निर्धारित पुलिस फार्म 54 पुस्तकें, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् प्राप्त कर पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा, यह शर्त ठेकेदार के लिए भी यथावत् लागू होगी।

11--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12--कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला पशुबाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी मे संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्त जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशुबाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13--कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ या पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा।

14--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाइसेन्स शुल्क देय होगा :

प्रमाणित प्रति

	रु० वार्षिक
1--वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन लगातार लगने वाले पशुमेले के लिये लाइसेन्स शुल्क	5000.00
2--वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार पशु मेले के लिये	10,000.000
3--वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क	15,000.00
4--सप्ताह में एक बार लगने वाली पशुबाजार पशुपैंठ का लाइसेन्स शुल्क	2000.00
5--सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाले पशु-बाजार/पशु पैंठ का शुल्क	4000.00
6--वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	2000.00
7--वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	4000.00

भाग-3

1--जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु चौधरी एवं दलाल का लाइसेन्स दिया जावेगा, ऐसे चौधरी एवं दलाल निम्न-लिखित शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे एवं कार्य करेंगे :

(1) कोई भी वयस्क एव स्वस्थ्य मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा ।

(2) रु० 250.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी या दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा ।

(3) चौधरी या दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जावेगा ।

(अ) पशु के रु० 100.00 तक मूल्य पर 0.50 रुपया

(ब) पशु के रु० 1000.00 तक मूल्य पर 2.00 रुपया

(स) पशु के रु० 1000.00 से ऊपर मूल्य पर 5.00 रुपया

4--जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी या दलाल अपनी नियुक्ति का पशु मेला/पशु बाजार/पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी से 30 कि० मी० के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधरी या दलाली नहीं कर सकेगा अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लायसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी ।

भाग-4

1--जिला पंचायत औरैया द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार/पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतरान के लिए अड्डों की व्यवस्था करेगी ।

2--निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजानिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा ।

3--यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जावेगा व पशुओं के लदान व उतरान के लिए अड्डों बनाई जावेगी ।

4--जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी । निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी, में अड्डों की स्थापना ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

प्रमाणित प्रति

5--अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :

वाहन की किस्म	शुल्क
1	2
	रु०
1--मैटाडोर या छोटा ट्रक खाली	5.00
2--बड़ा ट्रक खाली	10.00
3--छोटा ट्रक या मैटाडोर जिसमें पशु लदे हों	125.00
4--बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों	150.00
5--सामान भरा हुआ बैलगाड़ी या खड़खड़ा	5.00
6--खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	2.00
7--सामान भरा ट्रैक्टर/ट्राली मैटाडोर तथा छोटा ट्रक	25.00
8--सामान भरा हुआ खड़ा ट्रक	50.00

भाग-5

1--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिए मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जावेगी ।

2--पशुओं की जांच के लिए जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं के प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।

3--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जावेगी जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी ।

4--निजी पशु मेला पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से भूराजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकेगा ।

5--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा :

प्रवेश शुल्क	रु०
(1) गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा, पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक	1.00 प्रति पशु
(2) बकरा, बकरी एवं भेड़	2.00 प्रति पशु
(3) गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा एवं घोड़ी	2.00 प्रति पशु
(4) ऊंट एवं हाथी	5.00 प्रति पशु

6--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित व संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि--

(क) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल स्वच्छ रखे ।

(ख) पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था कराये।

(ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारी एवं ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था कराये ।

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रुकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबन्ध करायें ।

(ङ) व्यापारियों को ठहरने के लिये भी समुचित प्रबन्ध कराये ।

(च) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराये ।

(छ) संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी० डी० टी० का समुचित छिड़काव कराये ।

प्रमाणित प्रति

(ज) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को अनिवार्य होगा ।

भाग-6

1--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जावेगा ।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में आयी हुई दुकानों आदि की बैठकों की दरें व अन्य शर्तें तहबाजारी नियंत्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जावेगी ।

3--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर संचालित करने, वाहन अड्डों को संचालित करने अथवा प्रवेश शुल्क की वसूली का कार्य सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जावेगी, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे व कार्य अधिकारी वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे । यह समिति तहबाजारी नियंत्रण उपविधि के नियम 5 (1) से (7) तक के नियमों का पालन भी इन ठेकों में करायेगी ।

4--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख-रेख में निश्चित किया जावेगा ।

5--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशुपैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगाने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाइसेन्स आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निश्चित किया जावेगा, लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकता अनुसार स्थान व व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है ।

6--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी को लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल क्षेत्रफल, चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए खसरा, खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जावेगा ।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इस उपविधि का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन तक दण्ड दिया जा सकेगा ।

राजेन्द्र भौनवाल,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल,
कानपुर ।

प्रमाणित प्रति
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत--औरैया

31 दिसम्बर, 2001 ई0

सं0 464/21-ए-35 (92-93)--शासनादेश संख्या 673/इक्कीस-14 (88-89), जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम 2 उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) (अधिनियम संख्या 33, 1961) की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट, भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी, भट्ठी आदि को नियन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 6991-92/21-ए-35 (92-93), दिनांक 20 अगस्त, 1995 द्वारा स्वीकृत एवं दिनांक 16 सितम्बर, 1995 द्वारा लागू उपविधि को नियम संशोधन/संवर्धन किया जाता है । जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कर दी है, यह उपविधियां गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेंगी ।